

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./सी.पी.एस./2020/ 335

भोपाल, दिनांक 20/07/2020

सी.पी.एस., मुम्बई के माध्यम से
प्रदेश के जिला/सिविल अस्पतालों में पी.जी. डिप्लोमा सीट्स हेतु
शैक्षणिक वर्ष 2020 में प्रवेश के संबंध में

सूचना

प्रदेश के चिंहित जिला/सिविल अस्पतालों में कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स (सी.पी.एस.), मुम्बई के माध्यम से विभिन्न विषयों में दो वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2020 में संचालित किये जाएंगे, विवरण संलग्न है।

2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एम.सी.आई.) से निम्न विषयों में सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त है:-


- स्त्री रोग एवं प्रसूति (डी.जी.ओ.),
- शिशु रोग (डी.सी.एच.),
- पैथालॉजी एवं बैक्टीरियोलॉजी (डी.पी.बी.)

3. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 के द्वारा निम्न विषयों में सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई है:-

- निश्चेतना (डी.ए.)
- जनरल मेडिसीन (डी.जी.एम.)
- जनरल सर्जरी (डी.जी.एस.)
- सायकोलॉजिकल मेडिसीन (डी.पी.एम.)
- मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इलेक्ट्रोलॉजी (डी.एम.आर.ई.)
- इमरजेंसी मेडिसीन (डी.एम.ई.ई.)

डी.आर्थो. विषय में भी मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् के द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु एकट में संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

4. पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेश हेतु प्रवेश वर्ष की पी.जी. नीट क्वालिफाईड होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिये वर्ष 2020 में प्रवेश के लिये वर्ष पी.जी. नीट 2020 क्वालिफाईड होना अनिवार्य है।
5. सेवारत नियमित/संविदा चिकित्सा अधिकारियों को विभागीय नियमों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में सेवा के लिये महत्व दिया जाएगा, इस हेतु ग्रामीण सेवा अवधि की गणना दिनांक 31 मार्च 2020 की स्थिति में की जाएगी।
6. पी.जी. नीट 2020 के कट-ऑफ को कम कर दिया गया है, अतः जिन चिकित्सा अधिकारियों ने पी.जी. नीट 2020 क्वालिफाई कर ली है और वे ग्रामीण क्षेत्र में सेवा के लिये अंक जुड़वाना चाहते हैं, वे अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से फार्म 8 एवं 8A में जानकारी दिनांक 30 जुलाई 2020 तक ईमेल आईडी cpsmp2020@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. शैक्षणिक वर्ष 2020 में पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेश हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।


(राकेश मुंशी)

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ क्र./प्रशि./सी.पी.एस./2020/ 336

भोपाल, दिनांक 20/07/2020

प्रतिलिपि: कृपया-सूचनार्थ प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, गैस राहत विभाग, मध्य प्रदेश।



संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

सी.पी.एस., मुम्बई से पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संबद्ध जिला/सिविल अस्पतालों की सूची एवं
विषयवार संभावित पीजी सीट्स की संख्या

क्र.	जिला अस्पताल	विधा	प्रस्तावित यूनिट्स की संख्या	अतिरिक्त सीट्स की संख्या
1.	जिला अस्प. भोपाल	स्त्री रोग एवं प्रसूति	2	4
		शिशुरोग	2	4
		निश्चेतना	1	2
		जन. मेडिसिन	2	4
		पैथोलॉजी	1	2
		आर्थोपिडिक्स	1	2
2.	जिला अस्प. बड़वानी	जन. सर्जरी	1	2
		आर्थोपिडिक्स	1	2
3.	जिला अस्प. छिंदवाड़ा	स्त्री रोग एवं प्रसूति	1	2
		जन. मेडिसिन	1	2
4.	जिला अस्प. होशंगाबाद	स्त्री रोग एवं प्रसूति	2	4
		जन. सर्जरी	1	2
5.	जिला अस्प. खंडवा	जन. मेडिसिन	1	2
6.	जिला अस्प. मंदसौर	जन. सर्जरी	2	4
		निश्चेतना	1	2
7.	जिला अस्प. रतलाम	शिशुरोग	1	2
		जन. मेडिसिन	1	2
		जन. सर्जरी	2	4
		निश्चेतना	1	2
		आर्थोपिडिक्स	1	2
8.	जिला अस्प. शहडोल	जन. मेडिसिन	1	2
		जन. सर्जरी	1	2
9.	जिला अस्प. शिवपुरी	स्त्री रोग एवं प्रसूति	1	2
		जन. सर्जरी	1	2
10.	जिला अस्प. सीहोर	जन. मेडिसिन	1	2
		पैथोलॉजी	1	2

Handwritten signature

11.	जिला अस्प. उज्जैन	शिशुरोग	1	2
		जन. मेडिसिन	1	2
		जन. सर्जरी	1	2
12.	जिला अस्प. विदिशा	शिशुरोग	1	2
		जन. मेडिसिन	1	2
		जन. सर्जरी	1	2
13	सिविल अस्प. पी.सी.सेठी, इंदौर	स्त्री रोग एवं प्रसूति	1	2
		शिशुरोग	1	2
		निश्चेतना	1	2
14	जिला अस्पताल, सागर	स्त्री रोग एवं प्रसूति	1	2
15	जिला अस्पताल, सतना	शिशुरोग	1	2
16	सि.अ. रानी दुर्गावती, जबलपुर	स्त्री रोग एवं प्रसूति	2	4
17	कमला नेहरु गैस राहत अस्पताल, भोपाल	जन. मेडिसिन	1	2
18	इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल, भोपाल	स्त्री रोग एवं प्रसूति	1	2
19	मानसिक आरोग्य शाला, ग्वालियर	डीपीएम	2	4
योग			49	98

[Handwritten signature]